



समाहरणालय, सीतामढ़ी
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

(अल्पकालीन निविदा 01 आमंत्रण सूचना)

वर्ष-2021 में संभावित बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों को ससमय सहाय्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदादाता को सुरक्षित जमा राशि के रूप में को मो0-10,000.00 (दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से जमा करना होगा।
2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 26/04/2021 के अपराह्न 03:00 बजे तक होगी तथा निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा।
3. सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	सामग्रियों का विवरणी	दर
1	चुड़ा	प्रति क्विंटल
2	बी-नी	प्रति क्विंटल
3	गुड़	प्रति क्विंटल
4	चना	प्रति क्विंटल
5	आटा	प्रति क्विंटल
6	चना का सचू	प्रति क्विंटल
7	आयोडीन नमक	प्रति क्विंटल
8	सरसो तेल	प्रति कि०ग्रा०
9	दाल (अरहर, चना, मूंग, मसूर)	प्रति क्विंटल
10	मसाला (जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, गोल मिर्च पाउडर)	प्रति कि०ग्रा०
11	सोयाबीन बरी	प्रति कि०ग्रा०
12	आलू	प्रति क्विंटल
13	मोगवती (8.5 इंच, लम्बाई एवं मध्यम मोटाई का)	प्रति सैकड़ा
14	दियासलाई	प्रति दर्जन
15	कपड़ा का झोला (मारकीन कपड़ा में)	प्रति पीस
16	खाना बनाने हेतु सभी प्रकार के बर्तन (भाड़ा पर)	प्रति दिन
17	गैस गट्टी/दुल्हा (भाड़ा पर)	प्रति दिन
18	दरी (सभी साईज में)	प्रति नग

19	चादर (सभी साईज में)	प्रति नग
20	थाली (स्टील का)	प्रति नग
21	कटोरा (स्टील का)	प्रति नग
22	ग्लास (स्टील का)	प्रति नग
23	घोती (सूती)	प्रति नग
24	साड़ी (सूती)	प्रति नग
25	गंजी (सूती)	प्रति नग
26	लूंगी (सूती)	प्रति नग
27	गमछा (सूती)	प्रति नग
28	जेरनेटर 05 KVA (ऑपरेटर एवं इंधन सहित) 12 (बारह) घंटा के लिए	प्रति दिन
29	हैलोजन लाईट प्रति अदद प्रति दिन(500 वाट) तार सहित	प्रति दिन
30	ट्यूब (मरकरी) प्रति अदद प्रति दिन तार सहित	प्रति दिन
31	पंखा (सिलिंग)/पैडेस्टल/एकझोस्ट) प्रति अदद तार सहित	प्रति दिन
32	एल0 ई0डी0 बल्ब (09 वाट) प्रति अदद प्रति दिन तार सहित	प्रति दिन

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- क्र0-01 से 32 तक के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील/मुहरबन्द लिफाफे में रहेगी, जिसे एक बड़ा लिफाफा में बंद कर सील किया हुआ होना चाहिए।
- तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर, GST, अधतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र, दूकान की अनुज्ञप्ति, अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- तकनीकी निविदा के साथ अप्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- तकनीकी निविदा के साथ काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ-पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
- अनुभव प्रमाण-पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
- वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
- सामग्रियों की आपूर्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जाँचोपरान्त आवश्यकता अनुसार अंकों में आपूर्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्तिकर्ता को परिवहन भत्ता / सामान उत्तारने का भत्ता देय नहीं होगा।
- निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति निश्चित रूप से करनी होगी, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। विशेष परिस्थिति में एक आपूर्तिकर्ता द्वारा

- आवश्यकतानुसार सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर अन्य तकनीकी रूप से सफल निविदादाता से उसी दर पर सामान की आपूर्ति ली जा सकती है।
10. सम्भावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्ति ली जायेगी।
 11. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 12. स्वीकृत किये गये साहाय्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई साहाय्य सामग्रियों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
 13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
 14. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
 15. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सीतामढ़ी जिला से सम्पर्क कर सकते हैं एवं विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट sitamarhi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
 16. आपूर्ति सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् ही समर्पित विपत्र से अनुमान्य विक्रीकर, आयकर एवं अन्य करों की कटौती कर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
 17. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

- ज्ञापक...395...../आ0प्र0, दिनांक...08/04/2021
- प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (विज्ञापन), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला नजारत उप समाहर्ता, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं निविदा को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, बैशाली, बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ एवं पटना को सूचनार्थ। अनुरोध है कि निविदा को अपने जिला में विस्तृत प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना/आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


6/4/21
जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।